

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनअल संख्या- 15

मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड,

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

यदि कोई व्यक्ति विभाग के कार्यों से सम्बंधित कोई जानकारी चाहता है तो वह प्रदेश स्तर पर मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय एवं जनपदों में विभागीय कार्यालयों से संपर्क कर सूचना प्राप्त कर सकता है। विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बंध में संपूर्ण जानकारी जनपद कार्यालय में प्रत्येक समय उपलब्ध रहती है।

विभाग में वर्तमान में कोई पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा जन सामान्य के लिये उपलब्ध नहीं है। किंतु यदि कोई व्यक्ति विभाग से सम्बंधित कोई नियम/अधिनियम की जानकारी करता है तो उसे उपलब्ध करा दी जाती है। विभाग से सम्बंधित विभिन्न सूचनाओं को विभागीय वेब साइट enttax.uk.gov.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

मनोरंजन कर विभाग
उत्तराखण्ड

श्रीमान्
[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]
[Handwritten Date]